न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
जगदीश पुत्र भैरूराम उर्फ भेराराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1 मनीराम उर्फ मुनाराम पुत्र भैरूराम उर्फ भेराराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 2 तहसीलदार मुण्डवा तहसील मुण्डवा। 3 केनरा बैंक शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, शाखा नागौर व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगर राम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 18.12.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा ईनाणा के बंटवाडा आदेश दिनांक 14.01.13 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.01.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दिनांक 17.01.2019 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवाडा आदेश दिनांक 14.01.13 की प्रमाणित फोटोप्रति, मौजा ईनाणा की खतौनी सम्वत् 2064 से 67 की फोटोप्रति, मौजा रूपासर की खतौनै सम्वत् 2064 से 67 की फोटोप्रति, मौजा ईनाणा की नजरी नक्शा की प्रमाणित फोटोप्रति, मौजा ईनाणा की चालू खतौनी की सम्वत् 2068 से 71 की प्रमाणित प्रति तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मौजा रूपासर के नामान्तरकरण संख्या 482, 545 व 546 की फोटोप्रति पेश की।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अपीलांट गरीब ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है व दमा की बीमारी से ग्रस्त है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 पढा लिखा व होशियार व्यक्ति होने से पक्षकारान के परिवार का कर्ता खानदान रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने चालाकी से अपने बंट में अच्छी व ज्यादा जमीन रखने की नियत से हमेशा की भांति बैंक से खेतों पर के.सी.सी. लोन उठाने रखने की नियत से हमेशा की भांति बैंक से खेतों पर के.सी. सी. लोन उठाने की सुविधा का फार्म भरने का कह कर धोखे से पटवारी हल्का से मिलीभगती करके बाला बाला ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में षडयंत्र पूर्वक धोखे से सहमति से बंटवाडा होने का आवेदन अन्तर्गत धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश कर अपीलांट का अंगुठा उसको बिना बताये समझाये अनपढ व अज्ञानता का नाजायज फायदा उठा कर अंगुठा करवा लिया तथा अपीलांट ने रेस्पोंडेंट संख्या 1 उसका भाई होने से उस पर सद्भावना पूर्वक विश्वास कर उसके कहने से विश्वास में अंगुठा कर दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 ने पटवारी से मिलीभगती रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय से धोखा कर धोखे से आपसी सहमति बताते हुए सहमति पत्र तस्दीक करवा कर बंटवाडा का आदेश प्राप्त कर लिया तथा बंटवाडा आदेश की पालना में म्यूटेशन भी करवा लिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को आज तक नहीं होने दी तथा अपीलांट के नाम पर बैंकों से ऋण उठाता रहा तथा वापस जमा भी करवाता रहा, 25 दिसम्बर 2018 को रेस्पोडेंट संख्या 1 निम्बाराम को कहा कि आप लोग अपीलांट सहित ढाणियों को खाली करो या अपने मकानों की पट्टियों उतार कर ले जावों तथा अपीलाधीन खेतों में खसरा नम्बर 1460 में सींव कायम करनी है व मकान ढाणियां खाली करने की बात जोर पकडने पर अपीलांट ने व निम्बाराम ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से गंभीरतापूर्वक बात की तो उसने कहा कि कई वर्ष पहले ही बंटवाडा हो चुका है तथा धमकी दी कि वह तो ढाणियां खाली करवा कर ही रहेगा तथा बरसात होने पर काश्त शामलाती में नहीं करने देगा, जिस पर अपीलांट पटवारी हल्का से मिला जिसने दिनांक 03.01.2019 को खतौनी की नकल देते हुए बंटवाडा हो जाना बताया तथा पटवारी की सहायता से दिनांक 03.01.2019 को नकल का आवेदन करवा कर नकल प्राप्त की जो नकल दिनांक 03.01.2019 को सायं तक मिली तथा वकीलों से दूसरे दिन सलाह मशविरा पूछताछ की तथा खर्चा जुटा कर अपील तैयार करवा कर यह अपील न्यायालय

18/12/24
अपर कलक्टर, नागौर

हाजा के समक्ष पेश की। जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील गलत, गेर कानूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त के है।

{2}(II)– अपीलाधीन भूमियां अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 की पैत्रिक भूमियां है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 बहिस्सा बराबर बराबर के सहखातेदार काश्तकार उनके परिवार में जन्म से ही होकर रहते चले आये है जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 को अधिक भूमि अपने बंट में करवा लेने का कोई कानूनी अधिकार व हक कतई नहीं था तथा अपीलांट के साथ उसके अनपढ व अज्ञानता का फायदा उठाकर धोखे से उसे सहमति होने के अंगुठा निशानी करवा कर बिना अपीलांट को जानकारी करवाये धोखे में रखते हुए धोखे से अधीनस्थ न्यायालय से विभाजन पत्र (सहमति पत्र) बंटवाडे का तस्दीक करवाया जो धोखे से प्राप्त आज्ञा से ऐसी आज्ञा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है तथा ऐसी आज्ञा अपीलांट के विरूद्व नल एण्ड वॉयड है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति पत्र तस्दीक करने से पूर्व अपने स्तर पर पक्षकारों की अर्थात अपीलांट से कोई जांच, पूछताछ आदि नहीं की तथा पक्षकारान, अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के अलावा अन्य व्यक्ति काबिज निम्बाराम व मदनराम के पक्के मकानात भी वादग्रस्त अपीलाधीन भूमि में बने हुए है उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया न उन से कोई पूछताछ की अथवा जांच ही की, अपीलाधीन भूमियों में अपीलांट का प्रत्येक खसरा भूमि में मदनराम व निम्बाराम को मकानों की भूमि के अलावा 1/2–1/2 वां हक, हिस्सा है जिस हिस्से की भूमियां पैतृक होने से कम ज्यादा करने का अथवा किसी के हक व अधिकार को खत्म कर देने रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं था और न ही ऐसा हक व अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था, जिससे भी आदेश जैर अपील अनियमितितापूर्ण व इललिगल होने से निरस्त लायक है।

{2}(IV)–अपीलाधीन आदेश का प्रकरण विवादित मामला रहा है चूंकि बंटवाडा के मामले में प्रथम तो पक्षकारान खातेदारान ने संयुक्त सहखातेदारी की भूमियों में उनका हिस्सा तय किया जाता है तथा हिस्से के बाद में कानूनी तौर से तहसीलदार के मार्फत मौके पर बंटवाडा स्कीम तैयार करवा कर मंगवाई जाकर फाईनल बंटवाडा का आदेश बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाता है तथा धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत तहसीलदार को किसी पक्षकार का हिस्सा कम ज्यादा का बंटवाडा करने व हिस्सा कम ज्यादा घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार भी नहीं है। ऐसे में अपीलांट का हिस्सा कम करते हुऐ खसरा नम्बर 1459 व 1461 पूरा ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के बंट में रख दिया। जिससे भी यह मामला विवादित रहा है और कानून अनुसार तहसीलदार को विवादित मामलों की सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार भी प्राप्त नहीं था जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील विधि विपरीत गैर कानूनी है चूंकि तहसीलदार को आराजी/वादग्रस्त भूमियों का बंटवाडा करने के लिए बहिस्सा बराबर का बंटवाडा करने का ही अधिकार है। खातेदार अधिकारों में कम ज्यादा भूमियों का बंटवाडा करने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है इस प्रकरण में कम ज्यादा भूमियों का भी बंटवाडा किया गया है ऐसी शक्ति/क्षेत्राधिकार तो धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 52(2)(11) के दावे में निर्णय में ही प्रदत्त है जो कि सहायक कलक्टर को निहित की गयी है जिससे कानूनी तौर पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता। विधि विरूद्व आदेश निरस्त होने योग्य है तथा ऐसे प्रकरण में मियाद का बिन्दु भी लागू नहीं होता है जिससे भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– आदेश जैर अपील इललिगल एंड एररनेस है। चूंकि कानून अनुसार तहसीलदार ने न तो मौका देखा और न ही भौतिक विभाजन संबंधी नियमों की पालना की और न ही ऐसे मामलों में कोई स्टाम्प ड्यूटी ही ली गई ऐसी सुरत में अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 966 से 969, आरआरटी 2012(1) पेज 658 से 661, आरआरटी 2011(1) पेज 57 से 64, आरआरटी 2004(1) पेज 374 से 380, आरआरटी 2017(2) पेज 1104 से 1107, आरआरडी 2020 पेज 134 से 136 तक नजीरे पेश की।

18/1/24
अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त बंटवाडा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति के जरिये बंटवाडा किया है, जिसमें अपीलांट के अंगुष्ठ निशान भी है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त बंटवाडा विधि अनुसार किये जाने से अपील खारिज की जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा ईनाणा के बंटवाडा आदेश दिनांक 14.01.13 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है मौके पर विभाजन को लेकर नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इन खातेदारान के अंगुष्ठ निशान, हस्ताक्षर व तहसीलदार से प्रमाणित है। बंटवाडा पर पक्षकारान के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर एवं तहसीलदार से प्रमाणित है। अतः अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर उसकी सहमति नहीं है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवाडा आपसी सहमति से ही किया गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलेक्टर, नागौर